

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 434]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 अगस्त 2010—भाद्र 3, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. एफ 24-9-2010-एक-10.—चूंकि, 2-3 दिसम्बर, 1984 की दरमियानी रात को यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लिमिटेड की भोपाल इकाई से जहरीली गैस का रिसाव हुआ जो विश्व की मानव-जनित भीषणतम रासायनिक दुर्घटना है, जिसमें अनेक निर्दोष लोगों को अपनी जानें गवानी पड़ी तथा हजारों लोग शारीरिक एवं मानसिक तौर पर विकलांग हो गये,

राज्य शासन की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित बिन्दुओं पर एक जांच आयोग का गठन किया जाना अनिवार्य है :-

- (1) क्या यूनियन कार्बाइड की स्थापना में तत्समय प्रभावशील नियम एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया था?
- (2) दिसम्बर, 1984 की दुर्घटना के पूर्व क्या यूनियन कार्बाइड द्वारा मजदूरों को इस प्रकार की दुर्घटना से होने वाली क्षति से बचाव के लिये पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किये गये?
- (3) क्या यूनियन कार्बाइड द्वारा दिसम्बर, 1984 की दुर्घटना के पश्चात् रासायनिक अवशिष्ट का निपटान करने हेतु पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किये गये?
- (4) वारेन एण्डरसन की गिरफ्तारी, रिहाई एवं सुरक्षित रास्ता देने में राज्य शासन एवं अन्य की भूमिका क्या थी जिससे वह फरार हुआ?
- (5) गैस प्रभावितों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कौन से अन्य उपाय वांछनीय हैं?
- (6) कोई अन्य विषय जो उपर्युक्त बिन्दुओं से उद्भूत, एवं / अथवा जुड़े एवं / अथवा प्रासंगिक हों.

2: जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सार्वजनिक महत्व के उपर्युक्त मामलों की जांच करने और उसके संबंध में रिपोर्ट देने हेतु एक जांच आयोग नियुक्त करती है, जिसमें एकल सदस्य अर्थात् माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. एल. कोचर होंगे.

3. आयोग का मुख्यालय भोपाल में होगा.

4. आयोग अपनी जांच पूर्ण कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से 6 माह के भीतर प्रस्तुत करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. एफ 24-9-2010-एक-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की उक्त समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 25 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 25th August 2010

No. F 24-9-2010-I-10.—WHEREAS on the midnight of 2nd / 3rd December, 1984 an incident of toxic gas leakage from Union Carbide (India) Ltd. plant, Bhopal, a grave man-made chemical disaster in the world in human memory, took place, resulting in unprecedented deaths, and affecting millions with chronic physical and mental disorder,

AND WHEREAS the State Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Enquiry for the purpose of enquiring into the following matters of public importance, viz :—

- (1) Whether the Union Carbide plant was set up in strict compliance of prevailing rules and regulations?
- (2) Whether adequate safety measures were taken by Union Carbide to prevent accidents that caused injury to workers before the incident?
- (3) Whether adequate safety measures were taken while dealing with the disposal of hazardous waste after the incident?
- (4) What was the role of the State Administration and others in the arrest, release and providing safe passage to Mr. Warren Anderson, leading to his absconson?
- (5) What further measures, if any, be taken up to address the special needs of the gas victims?
- (6) Any other matter arising out of and/or connected with and/or incidental to the above points.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Enquiry Act, 1952 (No. LX of 1952) the State Government hereby appoints a Commission of enquiry consisting of a single member, namely Hon'ble Justice Shri S. L. Kochar, Judge of the Madhya Pradesh High Court, to enquire into the aforesaid matters of public importance.

3. The headquarters of the Commission shall be at Bhopal.

4. The Commission shall complete its enquiry and report to the State Government within six months of the date of publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.